[2019] 13 एस. सी. आर. 534

सुपरिंटिंग इंजीनियर/देहरादून पावर हाउस

सर्कल भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (पीडब्लू)

स्लेपर और एक और

वी.

कर और कर अधिकारी, सुंदर नगर /

प्राधिकरण का आकलन करना

(2019 की सिविल अपील संख्या 8276-8277)

अक्टूबर 25,2019

[अरुण मिश्रा, एम. आर. शाह और बी. आर. गवई, जे. जे.]

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005: एस. 48 - पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग यू/एस। 48 उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन की तारीख से 90 दिनों के बाद दायर किए जाने के मामले में देरी की निंदा आदेश का संचार-एसएस की प्रयोज्यता। 5 , 29 सीमा अधिनियम-खंड पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि एस का प्रावधान है। 5 में से

सीमा अधिनियम लागू नहीं किया जा सकता है और उच्च न्यायालय विलंब को माफ नहीं कर सकता है: आयोजित किया गया: टिकाऊ नहीं-चूंकि 2005 के अधिनियम के तहत संशोधन उच्च न्यायालय में निहित है, एस के प्रावधान। 5 सीमा अधिनियम के लागू होते हैं, और कोई स्पष्ट नहीं है

एस के प्रावधानों का अपवर्जन। 5 और एस के अनुसार। 29 (2) , जब तक कि कोई विशेष कानून स्पष्ट रूप से प्रावधान को बाहर नहीं करता है। 4 24 तक

सीमा अधिनियम लागू होते हैं-इस प्रकार, एस के प्रावधान। 5 पुनरीक्षण प्रावधान यू/एस पर लागू होते हैं। 48 क्योंकि उन्हें 2005 के अधिनियम के तहत प्रावधानों द्वारा स्पष्ट रूप से बाहर नहीं किया गया है-संशोधन दाखिल करने में देरी को माफ कर दिया गया-सीमा अधिनियम, 1963-एस. एस. 5 , 29 .

मामले को उच्च न्यायालय में भेजते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 सीमा अधिनियम की धारा 29 में निहित प्रावधान बचत से संबंधित हैं। संबंधित प्रावधान

द्वारा किसी भी वाद, अपील या आवेदन के लिए निर्धारित सीमा कोई विशेष या स्थानीय कानून, अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि से अलग है, धारा 3 के प्रावधान लागू होंगे यदि अनुसूची ऐसी अवधि निर्धारित करती है। धारा 4 में निहित प्रावधान

24 केवल उस सीमा तक लागू होगा जहाँ तक वे स्पष्ट रूप से बहिष्कृत नहीं हैं। सीमा अधिनियम की धारा 5 विशेष रूप से निर्धारित अवधि के विस्तार से संबंधित है।

आवश्यकताएँ। यह प्रावधान न्यायालय पर लागू होता है और इसे बाहर रखा गया है।

534 सुपरिंटिंग ENGR./DPHCBB एम. एन. जी. एम. टी. बोर्ड (पी. डब्ल्यू.) स्लेपर v. ई. टी. ओ., सुंदर नगर/मूल्यांकन प्राधिकरण।

संहिता के आदेश XXI के प्रावधानों के लिए आवेदन में सिविल प्रक्रिया, 1908 (1908 का 5)। इसमें प्रावधान है कि यदि न्यायालय संतुष्ट है कि अपीलकर्ता/आवेदक के पास अपील को प्राथमिकता नहीं देने या सीमा के भीतर आवेदन नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था, तो न्यायालय निर्धारित अवधि के बाद इसे स्वीकार कर सकता है।

धारा 5 के साथ संलग्न स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट होता है कि यदि अपीलार्थी या आवेदक को उच्च न्यायालय के किसी आदेश, व्यवहार या निर्णय से गुमराह किया गया था। निर्धारित अवधि, धारा 5 के अर्थ के भीतर पर्याप्त कारण हो सकती है। [पैरा 5,6] [540-ई; 541-ए-बी]

1.2 हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 45 में निहित प्रावधानों में हिमाचल प्रदेश से अपील का प्रावधान है।

अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत पारित प्रत्येक मूल आदेश। धारा 45 की उप-धारा (4) में लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए 60 दिनों के भीतर या ऐसी अधिक विस्तारित अवधि के भीतर अपील दायर करने का प्रावधान है जिसकी अपीलीय प्राधिकरण अनुमति दे। इस प्रकार, धारा 45 (4) में निहित प्रावधानों के कारण, धारा 5 के सिद्धांत अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील पर लागू होंगे।

जो अन्यथा विशिष्ट प्रावधान के अभाव में प्राधिकरण पर लागू नहीं होता। संशोधन प्रदान किया जाता है

धारा 46 (1) के प्रावधानों के तहत आयुक्त स्वतः संज्ञान लेते हैं और स्वतः संज्ञान लेने के लिए 5 साल की अवधि प्रदान की जाती है।

पुनरीक्षण शक्ति। हालाँकि, न्यायाधिकरण के पास आदेश के संचार की तारीख से 60 दिनों के भीतर आवेदन पर विचार करने की शक्ति है। जब धारा 48 के प्रावधानों पर विचार किया जाता है, तो उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण प्रदान किया जाता है, और एक पीड़ित व्यक्ति ऐसे आदेश के संचार के 90 दिनों के भीतर पुनरीक्षण दायर कर सकता है। धारा 48 (1) कहीं भी सीमा अधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता को स्पष्ट रूप से बाहर नहीं करती है। धारा 5 के प्रावधान धारा 48 पर लागू होते हैं क्योंकि वे 2005 के अधिनियम के तहत प्रावधानों द्वारा स्पष्ट रूप से बहिष्कृत नहीं हैं। अधिक तो, में प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए

धारा 45 (4), जो सीमा अधिनियम की तरह देरी को माफ करने का प्रावधान करती है, किसी प्राधिकरण को भी देरी को माफ करने की शक्ति प्रदान करती है। इसके अलावा, धारा 46 के तहत स्वतः संज्ञान संशोधन का भी प्रावधान किया गया है। धारा 48 में कोई स्पष्ट बहिष्करण नहीं है। अधिनियम की योजना के कारण, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि निहितार्थ से, सीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधान [2019] 13 एस. सी. आर. हैं।

बहिष्कृत। धारा 29 (2) में निहित प्रावधानों को आकर्षित किया जाएगा क्योंकि 2005 के अधिनियम के प्रावधानों को देखते हुए कोई स्पष्ट बहिष्करण या निहितार्थ नहीं है। धारा 29 (2) में निहित प्रावधानों के आधार पर, सीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधान 2005 के अधिनियम की धारा 48 के तहत कार्यवाही पर लागू होंगे।

[पैरा 21] [562-एफ-एच; 563-ए-सी]

प्रावधान को छोड़कर, सीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 लागू होती हैं। हिमाचल की योजना पर विचार करने पर प्रदेश वैट अधिनियम, 2005, यह स्पष्ट है कि इसकी योजना सीमा अधिनियम के उन प्रावधानों को हटा नहीं रही है जो धारा 5 के सिद्धांतों को अपील दायर करने के मामले में किसी प्राधिकरण पर भी लागू करती हैं, लेकिन उक्त प्रावधान के लिए प्राधिकरण के पास देरी को माफ करने की शक्ति नहीं होगी। निहितार्थ से भी, यह स्पष्ट है कि सीमा की धारा 5 के प्रावधान

अधिनियम को समाप्त नहीं किया गया है; उनके पास 2005 के अधिनियम की धारा 48 के तहत सीमा को माफ करने का खेल है। आयुक्त को 5 साल के भीतर पुनरीक्षण शक्ति का स्वतः संज्ञान प्रावधान भी प्रदान किया जाता है। इस प्रकार, इरादा सीमा को बाहर करने का नहीं है एक्ट करें। संशोधन दाखिल करने में देरी को माफ कर दिया जाता है। [पैरा 22] [563-ई-एच; 564-ए]

1.4 उच्च न्यायालय के फैसले को टिकाऊ नहीं कहा जा सकता है। सीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधान 2005 के अधिनियम की धारा 48 के तहत पुनरीक्षण प्रावधान पर लागू होते हैं। विवादित निर्णयों और आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है। [पैरा 23] [564-बी]

पटेल ब्रदर्स बनाम। असम राज्य और अन्य। (2017) 2 एस. सी. सी. 350; सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम। होंगो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (2009) 5 एससीसी 791; हुकुमदेव नारायण यादव बनाम। ललित नारायण मिश्रा (1974) 2 एस. सी. सी. 133; सकुरू बनाम। तानाजी एयर 1985 एससी 1279; लता कामत बनाम। विलास (1989) 2 एससीसी 613; डब्ल्यू. बी. और ओ. आर. एस. की स्थिति वी. कार्तिक चंद्र दास और अन्य। (1996) 5 एस. सी. सी. 342; मुकरी गोपालन बनाम।

चेप्पिलट पुथनपुरायिल सुपरिंटिंग ENGR./DPHCBB एम. एन. जी. एम. टी. बोर्ड (पी. डब्ल्यू.) स्लैप ई. टी. ओ., सनदर नगर/आकलन प्राधिकरण।

अबूबकर (1995) 5 एस. सी. सी. 5; मंगू राम बनाम। नगरपालिका

दिल्ली निगम (1976) 1 एस. सी. सी. 392

भारत बनाम. लोकप्रिय निर्माण कंपनी (2001) 8 एससीसी 470;

समेकित अभियांत्रिकी उद्यम v. प्रधानाचार्य

सचिव, सिंचाई विभाग और अन्य। (2008) 7 एससीसी

169 ; सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम

होंगो इंडिया प्रा. लिमिटेड और ए. एन. आर. , (2009) 5 एस. सी. सी 791; राज्य

मध्य प्रदेश और अन्र. वी. अंशुमन शुक्ला (2014)

10 एस. सी. सी. 814; पटेल ब्रदर्स बनाम। असम राज्य और अन्य।

(2017) 2 एस. सी. सी. 350; एम. पी. स्टील कॉर्पोरेशन बनाम। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (2015) 7 एस. सी. सी. 58;

सीमा शुल्क आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नोएडा बनाम।

पंजाब फाइबर लिमिटेड, नोएडा (2008) 3 एस. सी. सी. 73; सिंह

उद्यम बनाम। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त,

जमशेदपुर और ओआरएस। (2008) 3 एस. सी. सी. 70; चौधराना

स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त,

इलाहाबाद (2009) 15 एस. सी. सी. 183-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2017] 1 एससीआर 95

पैरा

4

संदर्भित किया गया है

(2009) 5 एस. सी. सी. 791

संदर्भित किया गया है

पैरा

4

[1974] 3 एससीआर 31

संदर्भित किया गया है

पैरा

7

संदर्भित किया गया है

पैरा

8

ए. आई. आर 1985 एस. सी 1279[1989] 2 एससीआर 137

संदर्भित किया गया है

पैरा

9

[1996] 2 पूरक। एससीआर 373

पैरा

10

संदर्भित किया गया है

[1995] 2 पूरक। एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा

11

[1976] 2 एससीआर 260

संदर्भित किया गया है

पैरा

12

[2001] 3 पूरक। एससीआर 619

संदर्भित किया गया है

पैरा

13

[2008] 5 एससीआर 1108

संदर्भित किया गया है

पैरा

14

(2009) 5 एस. सी. सी. 791

संदर्भित किया गया है

पैरा

15

[2014] 11 एससीआर 361

संदर्भित किया गया है

पैरा

16

[2017] 1 एससीआर 95

संदर्भित किया गया है

पैरा

17

(2015) 7 एससीसी 58

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

[2019] एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(2008) 3 एससीसी 73

संदर्भित किया गया है

पै

रा 19

[2007] 13 एससीआर 952

संदर्भित किया गया है

पै

रा 19

(2009) 15 एससीसी 183

संदर्भित किया गया है

पै

रा 20

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं। 8276

8277 2019 से।

उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश 19.11.2018 से

हिमाचल प्रदेश सी. आर. सं. में शिमला में। 224 और 2018 का 225।

के साथ

सिविल अपील सं। 8278 , 8279 , 8280 , 8281 2019 से।

ध्रुव मेहता, अजय वोहरा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , यशराज सिंह देवड़ा, श्याम

अग्रवाल, सुश्री सोनल मशनकर, अनमोल मेहता, अभिमन्यु झांबा, सुश्री हेमलता रंगा, आशीष झांबा, समीर अली खान, सुश्री कविता झा, शम्मी कपूर, सुश्री स्वाति अग्रवाल, टी. रमेश, सुश्री एल. माहेश्वरी, ए. लक्ष्मीनारायणन, संदीप गोयल, सुश्री ए. अनामिका, पवनश्री अग्रवाल, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अरुण मिश्रा, जे.

1. सवाल यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने

मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 ('2005 का अधिनियम'), 2005 के अधिनियम की धारा 48 के तहत एक संशोधन के मामले में देरी को माफ करता है, आदेश के संचार की तारीख से 90 दिनों से अधिक दायर किया जाता है या यह सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 29 की प्रयोज्यता को बाहर करता है और इसके परिणामस्वरूप सीमा अधिनियम की धारा 5।

2. उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और दिनांकित आदेश के माध्यम से

19.11.2018 , हिमाचल प्रदेश कर न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के खिलाफ 2005 के अधिनियम की धारा 64 (5) के साथ पठित धारा 48 के तहत दायर संशोधन में देरी को माफ करने से इनकार कर दिया है। की डिवीजन बेंच उच्च न्यायालय ने 2017 के सी. एम. पी. (एम) No.1371 में हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य बनाम शीर्षक वाली एक समन्वित पीठ के निर्णय पर भरोसा किया।

ट्राइट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने माना है कि सीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधान को लागू नहीं किया जा सकता है और उच्च न्यायालय देरी को माफ नहीं कर सकता है। संशोधन 90 दिनों के भीतर दायर किया जाना है, जैसा कि 2005 के अधिनियम की धारा 48 में प्रावधान किया गया है।

सुपरिंटिंग ENGR./DPHCBB एम. एन. जी. एम. टी. बोर्ड (पी. डब्ल्यू.) स्लेपर v. ई. टी. ओ., सुंदर नगर/मूल्यांकन प्राधिकरण। [अरुण मिश्रा, जे।]

3. उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति से संबंधित 2005 के अधिनियम की धारा 48 में निहित प्रावधानों को नीचे पढ़ा गया है:

" 48. उच्च न्यायालय में संशोधन। - (1) कोई भी व्यक्ति जिससे पीड़ित हो

धारा 45 की उप-धारा (2) के तहत या धारा 46 की उप-धारा (3) के तहत न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया आदेश, ऐसे आदेश के संचारित होने के 90 दिनों के भीतर, ऐसे आदेश के संशोधन के लिए हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है, यदि इसमें कोई प्रश्न शामिल है - विधि के गलत निर्णय या विधि के प्रश्न का निर्णय लेने में विफलता से उत्पन्न होने वाली विधि।

(2) उप-धारा (1) के तहत पुनरीक्षण के लिए आवेदन में आदेश में शामिल कानून के प्रश्न का सटीक उल्लेख होगा, और यह होगा -

उच्च न्यायालय के लिए विधि का प्रश्न तैयार करने के लिए सक्षम।

(3) जहाँ इस धारा के तहत कोई आवेदन लंबित है, वहाँ उच्च न्यायालय, या आवेदन पर, इस ओर से, संशोधित किए जाने के लिए मांगे गए आदेश के तहत देय कर, जुर्माना या देय ब्याज की किसी भी विवादित राशि की वसूली या किसी भी राशि की वापसी पर रोक लगा सकता है:

बशर्ते कि ऐसे विवादित की वसूली पर रोक लगाने का कोई आदेश न हो

राशि 30 दिनों से अधिक समय तक लागू रहेगी जब तक कि आवेदक व्यक्ति की संतुष्टि के लिए पर्याप्त प्रतिभूति प्रदान नहीं करता है।

संबंधित प्राधिकरण का आकलन करना।

(4) उप-धारा (1) के तहत संशोधन के लिए आवेदन या उप-धारा (3) के तहत स्थगन के लिए आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा।

कम से कम दो न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा।

(5) इस धारा के तहत कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाएगा जो किसी भी व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है जब तक कि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया है।

4. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा कि धारा 48 (1) में निहित प्रावधानों में उपयोग की गई अभिव्यक्ति पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय संशोधन दाखिल करने में देरी को माफ नहीं कर सकता है। उसमें निहित भाषा सीमा अधिनियम की धारा 5 की प्रयोज्यता को बाहर करती है। न्यायालय विलम्ब को माफ करने के लिए अंतर्निहित शक्तियों का भी प्रयोग नहीं कर सकता है। उच्च न्यायालय ने असम मूल्य वर्धित कर, 2003 में निहित प्रावधानों पर विचार किया है। असम मूल्य वर्धित

कर, 2003 की धारा 81 में निहित प्रावधानों को 2005 के अधिनियम की धारा 48 के प्रावधानों के साथ समान सामग्री माना जाता है। उच्च न्यायालय ने [2019] 13 एस. सी. आर. की धारा 84 का भी उल्लेख किया है।

अध्याय में निहित प्रावधानों के संबंध में सीमा। यह भी देखा गया कि 2005 के अधिनियम में यह अनुमान लगाने का कोई प्रावधान नहीं है कि सीमा अधिनियम के कोई भी प्रावधान लागू होते हैं। पटेल में निर्णय ब्रदर्स वी। असम राज्य और अन्य। , (2017) 2 एस. सी. सी. 350 पर भरोसा किया गया है, जिसमें असम मूल्य वर्धित कर, 2003 की धारा 81 में निहित प्रावधानों पर विचार करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सीमा अधिनियम की धारा 5 में निहित प्रावधान, धारा 84 में नियोजित भाषा द्वारा आवश्यक निहितार्थ से बाहर हैं। उच्च न्यायालय ने भी उल्लेख किया है

सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम मामले में इस न्यायालय के निर्णय के लिए। होंगो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, (2009) 5 एस. सी. सी. 791, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35 में निहित प्रावधानों के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 180 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय को निर्देश दिया जाना है, और 180 दिनों की निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद देरी को माफ करने के लिए उच्च न्यायालय की कोई शक्ति नहीं है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि सीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधान लागू नहीं हैं और दायर किए गए पुनरीक्षण के मामले में बाहर हैं।

2005 के अधिनियम की धारा 48 के तहत।

5. सीमा अधिनियम की धारा 29 में निहित प्रावधान

अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि से, धारा 3 के प्रावधान लागू होंगे यदि अनुसूची ऐसी अवधि निर्धारित करती है। प्रावधान धारा 4 से 24 तक में निहित केवल उस हद तक लागू होगा जहां तक और जिस हद तक वे स्पष्ट रूप से बहिष्कृत नहीं हैं। धारा 29 (2) यहाँ नीचे निकाली गई है:

" 29. बचत। (2) जहाँ कोई विशेष या स्थानीय कानून किसी मुकदमे के लिए निर्धारित करता है, वहाँ अपील करें।

या आवेदन अवधि से अलग सीमा की अवधि

अनुसूची द्वारा विहित, धारा 3 के प्रावधान लागू होंगे।

मानो ऐसी अवधि अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि थी और

किसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए, धारा 4 से 24 (समावेशी) में निहित प्रावधान केवल लागू होंगे।

जहाँ तक, और जिस हद तक, वे स्पष्ट रूप से नहीं हैं

इस तरह के विशेष या स्थानीय कानून द्वारा बहिष्कृत।

(जोर दिया गया)

सुपरिंटिंग ENGR./DPHCBB एम. एन. जी. एम. टी. बोर्ड (पी. डब्ल्यू.) स्लेपर v. ई. टी. ओ., सुंदर नगर/एसेसिंघाटी। [अरुण मिश्रा, जे।]

6. सीमा अधिनियम की धारा 5 विशेष आवश्यकताओं में निर्धारित अवधि के विस्तार से संबंधित है। प्रावधान लागू होता है न्यायालय और आदेश XXI के प्रावधानों के आवेदन में बाहर रखा गया है

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)। इसमें प्रावधान है कि यदि न्यायालय संतुष्ट है कि अपीलकर्ता/आवेदक के पास अपील को प्राथमिकता नहीं देने या सीमा के भीतर आवेदन नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था, तो न्यायालय निर्धारित अवधि के बाद इसे स्वीकार कर सकता है। धारा 5 से जुड़ा स्पष्टीकरण यह स्पष्ट करता है कि यदि अपीलार्थी या आवेदक को निर्धारित अवधि का पता लगाने या गणना करने में उच्च न्यायालय के किसी आदेश, व्यवहार या निर्णय से गुमराह किया गया था, तो धारा 5 के अर्थ के भीतर पर्याप्त कारण हो सकता है।

7. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने हुकुमदेव नारायण यादव बनाम पर भरोसा रखा है। ललित नारायण मिश्रा, (1974)

उच्च न्यायालय एक चुनाव याचिका को खारिज करने के लिए बाध्य है, जो धारा 81,82 या 117 के प्रावधानों का पालन नहीं करता है। चुनाव याचिका को धारा 81 में निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस प्रकार, प्रावधान को अनिवार्य माना गया था। जिसका पालन न करने पर याचिका के जुर्माने को खारिज कर दिया जाता है। निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई हैं:

" 17. हालाँकि सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) को अधिनियम के साथ-साथ दंड प्रक्रिया संहिता दोनों के तहत अपीलों पर लागू किया गया है, लेकिन हमारे पास कोई मामला नहीं लाया गया है।

जहां धारा 29 (2) अधिनियम की धारा 81 के तहत दायर एक चुनाव याचिका पर लागू की गई है, जिसके आधार पर सीमा अधिनियम की धारा 4,5 या 12 को आकर्षित किया गया है। यह मानते हुए भी कि जहां सीमा अधिनियम की अनुसूची में चुनाव याचिकाओं के लिए सीमा की अवधि निर्धारित नहीं की गई है, जो अधिनियम की धारा 81 के तहत निर्धारित से अलग है, धारा 29 (2) आकर्षित होगी, और हमें जो निर्धारित करना है वह [2019] 13 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्या इस धारा के प्रावधान स्पष्ट रूप से बाहर रखे गए हैं एक चुनाव याचिका का मामला। हमारे समक्ष यह तर्क दिया जाता है कि "स्पष्ट रूप से बहिष्कृत" शब्दों का अर्थ यह होगा कि विशेष या स्थानीय कानून में विशिष्ट के लिए एक स्पष्ट संदर्भ दिया जाना चाहिए।

सीमा अधिनियम के प्रावधान जिनमें से संचालन को बाहर रखा जाना है। हमेशा की तरह शब्दकोश में दिए गए अर्थ पर भरोसा किया गया है, लेकिन हमें यह देखना होगा कि क्या

विशेष विधि, अर्थात्, इस मामले में, अधिनियम और उसमें प्रदान किए गए उपचार की प्रकृति ऐसी है कि विधानमंडल ने इसका इरादा किया था।

यह अपने आप में एक पूर्ण कोड होना चाहिए जो अकेले इसके द्वारा प्रदान किए गए कई मामलों को नियंत्रित करता है। यदि, प्रासंगिक प्रावधानों की जांच करने पर, यह स्पष्ट है कि सीमा अधिनियम के प्रावधानों को अनिवार्य रूप से बाहर रखा गया है, तो उसमें प्रदान किए गए लाभों को अधिनियम के प्रावधानों के पूरक के रूप में सहायता के लिए नहीं लिया जा सकता है। हमारे विचार में, ऐसे मामले में भी जहां विशेष कानून सीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 के प्रावधानों को एक एक्सप्रेस द्वारा बाहर नहीं करता है

संदर्भ में, फिर भी यह जांच करने के लिए न्यायालय के लिए खुला होगा कि क्या और किस हद तक उन प्रावधानों की प्रकृति या विषय वस्तु की प्रकृति और विशेष कानून की योजना उनके संचालन को बाहर करती है। सीमा अधिनियम की धारा 3 के प्रावधान

अधिनियम की धारा 86 में यह प्रावधान किया गया है कि निर्धारित अवधि के बाद दायर किया गया मुकदमा, अपील और आवेदन खारिज कर दिया जाएगा, जो एक आकस्मिक आदेश देता है कि उच्च न्यायालय एक ऐसी चुनाव याचिका को खारिज कर देगा जो धारा 81,82 या 117 के प्रावधानों का पालन नहीं करती है। यह देखा जाएगा कि धारा 81 धारा 86 में उल्लिखित एकमात्र धारा नहीं है, और यदि सीमा अधिनियम धारा 81 के तहत एक चुनाव याचिका पर लागू होता है तो इसे धारा 82 और 117 पर समान रूप से लागू होना चाहिए क्योंकि धारा 86 के तहत उच्च न्यायालय यह नहीं कह सकता है कि एक आवेदन द्वारा

सीमा अधिनियम की धारा 5 की धारा 81 का अनुपालन किया जाता है, जबकि अधिनियम की धारा 82 और 117 के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के लिए आवेदन को खारिज करने में ऐसा कोई लाभ उपलब्ध नहीं है, या वैकल्पिक रूप से यदि सीमा अधिनियम के प्रावधान नहीं हैं। अधिनियम की धारा 82 और धारा 117 पर लागू होते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि वे धारा 81 पर लागू होते हैं। फिर से सीमा अधिनियम की धारा 6 जो एक ऐसे व्यक्ति के मामले में विकलांगता के बाद तक सीमा की अवधि के विस्तार का प्रावधान करती है जो या तो नाबालिग है या पागल है या मूर्ख है, एक चुनाव याचिका पर लागू नहीं होती है। इसी तरह, धारा 7 से 24 सुपरिंटिंग ENGR./DPHCBB एम. एन. जी. एम. टी. बोर्ड (पी. डब्ल्यू.) स्लेपर v के तहत कार्यवाही के लिए लागू नहीं हैं।

ई. टी. ओ., सुंदर नगर/मूल्यांकन प्राधिकरण। [अरुण मिश्रा, जे।]

अधिनियम, विशेष रूप से चुनाव याचिकाएं दायर करने के संबंध में

और उनका मुकदमा।"

(जोर दिया गया)

8. सकुरू बनाम। तानाजी, ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 1279, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि

सीमा अधिनियम के प्रावधान केवल न्यायालयों में कार्यवाही पर लागू होते हैं और अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरणों या कार्यकारी प्राधिकरणों जैसे न्यायालयों के अलावा अन्य निकायों की अपील या आवेदनों पर लागू नहीं होते हैं। यद्यपि निकायों या प्राधिकारियों को सिविल या दंड प्रक्रिया संहिताओं के तहत शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं, तथापि, विशेष क़ानून में एक स्पष्ट प्रावधान हो सकता है - अपीलीय प्राधिकरण को पर्याप्त कारण पर सीमा की निर्धारित अवधि बढ़ाने की शक्ति प्रदान करने वाला प्रावधान यह निर्धारित करके दिखाया जा रहा है कि सीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधान ऐसी कार्यवाहियों पर लागू होंगे। ऐसे प्रावधानों के अभाव में, धारा 5 का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा।

9. लता कामत बनाम। विलास, (1989) 2 एस. सी. सी. 613, उपबंधों में निहित

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 28 (4) में, विचार के लिए आया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उसमें निर्धारित सीमा सीमा अधिनियम की अनुसूची से अलग है। सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) के प्रावधानों के संबंध में, यह देखा गया कि हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधान सीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 के प्रावधानों के संचालन को बाहर नहीं करते हैं। इन्हें लागू माना गया है।

इसलिए, निर्णय की प्रति प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय को बाहर रखा जाना चाहिए, जैसा कि सीमा अधिनियम की धारा 12 (2) में प्रदान किया गया है। न्यायालय ने टिप्पणी की:

" 12. सीमा अधिनियम में अनुसूची एक के लिए प्रदान नहीं करती है

हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अपील, लेकिन यह केवल में प्रदान की जाती है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (4)। इस प्रकार

धारा 28 की उप-धारा (4) में दी गई सीमा अलग है।

सीमा अधिनियम की अनुसूची से। उप-धारा के अनुसार (2) धारा 29 की धारा 4 से 24 में निहित प्रावधान होंगे -

यह तब तक लागू होता है जब तक कि उन्हें स्पष्ट रूप से बाहर नहीं किया जाता है। यह स्पष्ट है कि

अधिनियम के प्रावधान प्रावधानों के संचालन को बाहर नहीं करते हैं

सीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 तक, और इसलिए यह कर सकता है यह नहीं कहा जाएगा कि ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। इसलिए यह

स्पष्ट करें कि हिंदू विवाह की धारा 28 के तहत अपील करने के लिए

अधिनियम, धारा 12 उप-धारा (2) में निहित प्रावधान होंगे

लागू; इसलिए, [2019] 13 एस. सी. आर. की प्रतियां प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अवधि की गणना के लिए निर्णय को बाहर करना होगा

अपील के लिए सीमा। दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने

चंद्र देव चड्ढा मामला निम्नानुसार आयोजित किया गया: (एयर पीपी। 24-25)

" हिंदू विवाह अधिनियम एक विशेष कानून है। कि यह 'विशेष' है

कानून किसी अपील के लिए सीमा की अवधि निर्धारित करता है, यह भी स्पष्ट है। सीमा की अवधि 30 दिन है। यह एक अलग अवधि है

जो सीमा अधिनियम, 1963 की पहली अनुसूची में विहित है। लेकिन जब हम पहली अनुसूची की ओर मुड़ते हैं, तो हम पाते हैं कि पहली अनुसूची में डिक्री या आदेश के खिलाफ अपील करने का कोई प्रावधान नहीं है

हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पारित। अब यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा में निर्धारित 'पहली अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि से भिन्न सीमा अवधि के प्रिस्क्रिप्शन' का परीक्षण।

29 (2) , सीमा अधिनियम, 1963 को ऐसे मामले में भी संतुष्ट किया जाता है जहां विशेष कानून और सीमा अधिनियम के बीच अंतर उत्पन्न हुआ

किसी विशेष कार्यवाही को सीमित करने का प्रावधान करने में चूक

सीमा अधिनियम के तहत, देखें, केनरा बैंक, बॉम्बे बनाम। वार्डन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बॉम्बे, ए. आई. आर. 1953 बॉम 35, द्वारा अनुमोदित

विद्याचरण शुक्ल बनाम में उच्चतम न्यायालय। खुबचंद

बघेल 2.

12 (2) , अपील की गई डिक्री या आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में बिताए गए समय को बाहर रखा जाएगा। यदि ऐसा है, तो सीमा अधिनियम की धारा 12 (2) आकर्षित होती है, और तीनों अपीलों में अपीलार्थी डिक्री और आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा लिए गए समय को बाहर करने के हकदार होंगे। अत: ये अपीलें हैं - समय के भीतर "।

सिप्रा डे मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय और कांतिबाई मामले में एम. पी. उच्च न्यायालय द्वारा भी इसी तरह का दृष्टिकोण लिया गया है। यह है।

1979 डेल 221964 एससी 1099

1988 कैल 28

1978 एम. पी. 245 एरिन्टेंडिंग ENGR./DPHCBB एम. एन. जी. एम. टी. बोर्ड (पी. डब्ल्यू.) स्लेपर v. ई. टी. ओ., सुंदर नगर/मूल्यांकन प्राधिकरण। [अरुण मिश्रा, जे।]

इसलिए स्पष्ट करें कि विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत तर्क

सीमा अधिनियम के आधार पर प्रत्यर्थी के लिए भी नहीं है

पदार्थ "।

10. डब्ल्यू. बी. एंड ओ. आर. एस. राज्य में। वी. कार्तिक चंद्र दास और अन्य, 5) 5 एस. सी. सी. 342, सीमा अधिनियम की धारा 29 के प्रावधान अवमानना संस्करणों में दायर पत्र पेटेंट अपील के संबंध में विचार में आए। यह देखा गया है कि किसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा सीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 के प्रावधानों का कोई स्पष्ट बहिष्कार नहीं है।धारा 29 (2) के बल पर, सीमा अधिनियम की धारा 5 केबल बन जाती है। न्यायालय ने कहा:

4. यह विवाद में नहीं है कि अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 19 के तहत, डिवीजन बेंच में एक अपील होगी, और आदेश की तारीख से 30 दिनों की सीमा निर्धारित की गई है, बशर्ते कि इसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में लगने वाले समय को हटा दिया जाए। हमने देखा है कि अपीलीय पक्ष के नियम

कलकत्ता शहर के अलावा अन्य क्षेत्र पर लागू कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीमा के आवेदन को स्पष्ट रूप से बाहर नहीं किया था।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने यह तर्क देना चाहा कि लेटर्स पेटेंट के तहत अपीलीय पक्ष नियमों के अध्याय 8 के नियम 3 के संचालन द्वारा अपील का ज्ञापन तैयार किया गया है। आदेश 41 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत अनुपालन की आवश्यकता है

इसके तहत परिकल्पना की गई थी क्योंकि इसमें कोई सीमा नहीं दी गई थी। इसलिए डिवीजन बेंच ने यह अभिनिर्धारित करना सही था कि

द्वारा पारित आदेश के खिलाफ लेटर्स पेटेंट के खंड 15 के तहत दायर अपील के लिए सीमा अधिनियम का विस्तार नहीं किया गया था

न्यायालय अवमानना अधिनियम के प्रावधानों के तहत विद्वान एकल न्यायाधीश। यह देखा गया है कि न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत,

उच्च न्यायालय ने नियम बनाए हैं। नियम 35 में परिकल्पना की गई है कि:

" 35. मूल पक्ष के किसी न्यायाधीश या पीठ के आदेशों से अपीलों के संबंध में, अपीलों से संबंधित मूल पक्ष के नियम और किसी भी आदेश से अपीलों के संबंध में अपीलीय पक्ष के न्यायाधीश या पीठ, अपीलीय के नियम

पक्ष उत्परिवर्तन उत्परिवर्तन लागू करेगा। "

इसलिए, पत्रों के खंड 15 के तहत दायर अपीलों के लिए

[2019] 13 एस. सी. आर. के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ पेटेंट।

आवश्यक परिणामों द्वारा अवमानना कार्यवाही, अपीलीय पक्ष में निर्धारित प्रक्रिया भी लागू होगी और

पीछा किया।

***

7. परिणामस्वरूप, सीमा अधिनियम की धारा 3 के साथ पठित धारा 29 (2) के प्रवर्तन द्वारा, सीमा को एक विशेष प्रावधान के रूप में निर्धारित किया गया है।

अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा 19 के तहत कानून और लेटर्स पेटेंट अपील दायर करने में सीमा आकर्षित होती है। परिणामस्वरूप, सीमा अधिनियम की धारा 4 से 24, लेटर पेटेंट अपील की ओर आकर्षित होती है, जहां तक और जिस हद तक वे विशेष या स्थानीय कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बहिष्कृत नहीं हैं। चूंकि अपीलीय पक्ष पर बनाए गए नियम, या तो लेटर पेटेंट के खंड 15 के तहत अपीलों पर विचार करने के लिए या अदालतों की अवमानना के तहत उत्पन्न होने वाली अपीलों को स्पष्ट रूप से बाहर नहीं किया गया था, इसलिए सीमा अधिनियम की धारा 5 लागू हो जाती है। हम मानते हैं कि सीमा अधिनियम की धारा 5 अवमानना के माध्यम से प्रवर्तन के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दायर अपीलों पर लागू होती है। इसलिए, उच्च न्यायालय का यह मानना सही नहीं था कि सीमा अधिनियम की धारा 5 लागू नहीं होती है। देरी को माफ कर दिया जाता है। चूंकि उच्च न्यायालय ने मामले को गुण-दोष के आधार पर नहीं देखा था, इसलिए हम गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त करने से इनकार करते हैं। मामला लंबित है।

गुण-दोष पर निर्णय के लिए खंड पीठ को।

11. मुकरी गोपालन बनाम। चेप्पिलट पुथनपुरायिल अबूबकर, (1995) 5 एस. सी. सी. 5, सवाल उठा कि क्या अपीलीय प्राधिकरण

केरल भवन (पट्टा और किराया नियंत्रण) अधिनियम, 1965 की धारा 18 के तहत गठित, अपील दायर करने में देरी को माफ करने की शक्ति रखता है। अपीलीय प्राधिकरण ने इस आधार पर अपील को खारिज कर दिया कि उसके पास देरी को माफ करने की कोई शक्ति नहीं है। देरी की माफी के लिए आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि केरल भवन (पट्टा और किराया नियंत्रण) अधिनियम की धारा 18 के तहत अपीलीय प्राधिकरण, 1965 , एक अदालत के रूप में कार्य करता है और एक व्यक्ति पदनाम नहीं है, यह सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत देरी को माफ कर सकता है क्योंकि धारा 29 की प्रयोज्यता के लिए दो आवश्यकताएं पूरी होती हैं, अर्थात्, (i) स्थानीय कानून के तहत निर्धारित की जा रही सीमा की विभिन्न अवधि; और (ii) सीमा अधिनियम के प्रावधानों का कोई स्पष्ट बहिष्कार नहीं है। प्रासंगिक टिप्पणियां निम्नलिखित हैं:

एम. एन. जी. एम. टी. बोर्ड (पी. डब्ल्यू.) स्लेपर v. ई. टी. ओ., सुंदर नगर/मूल्यांकन प्राधिकरण। [अरुण मिश्रा, जे।]

" 9. यदि उपरोक्त दो अपेक्षाएँ पूरी हो जाती हैं, तो

धारा 29 (2) द्वारा विचार किए गए परिणाम स्वतः ही अनुसरण करेंगे। ये परिणाम इस प्रकार हैं: (i) ऐसे मामले में, सीमा अधिनियम की धारा 3 लागू होगी जैसे कि विशेष या स्थानीय कानून द्वारा निर्धारित अवधि अवधि थी।

अनुसूची द्वारा निर्धारित।

((ii) किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए ऐसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा निर्धारित किसी सीमा की अवधि का निर्धारण करने के लिए धारा 4 से 24 (समावेशी) वाले सभी प्रावधान उस हद तक लागू होंगे, जिस हद तक वे स्पष्ट रूप से बाहर नहीं हैं।

विशेष या स्थानीय कानून।

10. सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) के प्रासंगिक खंडों के उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में, आइए हम देखें कि क्या किराया अधिनियम की धारा 18, जो अपीलीय प्राधिकरण को वैधानिक अपील प्रदान करती है, सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए उपरोक्त दोहरी शर्तों को पूरा करती है। यह विवादित नहीं हो सकता कि केरल किराया अधिनियम एक विशेष अधिनियम या एक स्थानीय कानून है। यह भी विवादित नहीं हो सकता है कि यह धारा के तहत अपील के लिए निर्धारित करता है।

18 एक सीमा की अवधि जो अवधि से अलग है

अनुसूची द्वारा सीमा अधिनियम की अनुसूची के रूप में निर्धारित किराया अधिनियम की धारा 18 के तहत अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए किसी भी सीमा की अवधि पर विचार नहीं करता है या

दूसरे शब्दों में यह ऐसी अपील के लिए शून्य अवधि की सीमा निर्धारित करता है। अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि ऐसी स्थिति जिसमें किसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा किसी अपील या आवेदन के लिए सीमा की अवधि निर्धारित की जाती है और जिसके लिए अधिनियम की अनुसूची में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, धारा 29 (2) को आकर्षित करने की दूसरी शर्त पूरी हो जाएगी। जैसा कि संविधान के बहुमत निर्णय द्वारा निर्धारित किया गया है

'खुबचंद बघेल', जब सीमा अधिनियम की पहली अनुसूची किसी विशेष अपील के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं करती है, लेकिन विशेष कानून इसके लिए एक समय-सीमा निर्धारित करता है, तो यह कहा जा सकता है कि सीमा अधिनियम की पहली अनुसूची के तहत सभी अपील किसी भी समय दायर की जा सकती हैं। समय, लेकिन विशेष कानून इसे सीमित करके एक अलग अवधि के लिए प्रावधान

करता है, जबकि पहला किसी भी समय अपील दायर करने की अनुमति देता है, दूसरा इसे निर्धारित अवधि के भीतर दायर करने के लिए सीमित करता है। यह.

इसलिए, पूर्व में निर्धारित से अलग है, और इस प्रकार धारा 29 (2) उस मामले में भी लागू होगी जहां विशेष कानून और सीमा अधिनियम के बीच अंतर उत्पन्न हुआ था, जिसके तहत किसी विशेष कार्यवाही को सीमित करने का प्रावधान करने में चूक की गई थी।

सीमा अधिनियम।

अधिनियम की धारा 18 के तहत अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर अपीलों के लिए सीमा अधिनियम की धारा 5 की प्रयोज्यता को बाहर निकालते हुए, किराया अधिनियम में कहीं भी कोई स्पष्ट बहिष्करण नहीं है। नतीजतन, धारा के आलोक में ऐसी अपीलों पर सीमा अधिनियम की धारा 5 के लागू होने के लिए सभी कानूनी आवश्यकताएं।

29 (2) यह कहा जा सकता है कि सीमा अधिनियम संतुष्ट हो गया है। जोक्किम फर्नांडीस बनाम में केरल उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के अल्पमत निर्णय द्वारा यह विचार लिया गया था। अमीना कुन्ही उम्मा। बहुमत अपने गलत अनुमान के कारण सहमत नहीं था कि किराया अधिनियम की धारा 18 के तहत काम करने वाला अपीलीय प्राधिकरण एक व्यक्ति पदनाम है। एक बार जब यह धारणा गलत पाई जाती है, जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, तो यह तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि उक्त निर्णय में अल्पमत का दृष्टिकोण सही था।

दृष्टिकोण और बहुमत का दृष्टिकोण एक गलत दृष्टिकोण था।

धारा 5 का उल्लेख, यदि अन्यथा स्पष्ट रूप से बहिष्कृत नहीं किया गया है। द.

1974 केर 162 सुपरइंटेन्डिंग ENGR./DPHCBB एम. एन. जी. एम. टी. बोर्ड (पी. डब्ल्यू.) स्लेपर v. ई. टी. ओ., सुंदर नगर/मूल्यांकन प्राधिकरण। [अरुण मिश्रा, जे।]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अनुसार दोषमुक्त किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 417 (4) के अनुसार विशेष अवकाश के लिए आवेदन साठ दिनों की समाप्ति से पहले दायर किया जाना चाहिए। विशेष अवकाश के लिए आवेदन 25.8.1971 पर दायर किया जाना चाहिए था, लेकिन यह 27.8.1971 पर दायर किया गया था। यह तर्क दिया गया कि उस धारा की उप-धारा (3) के तहत विशेष अवकाश के लिए आवेदन करने के लिए धारा 417 (4) में निर्धारित समय सीमा साठ दिन है जो अनिवार्य और अक्षम्य समय सीमा थी जिसे छूट या छूट नहीं दी जा सकती थी, और इसमें सीमा अधिनियम की धारा 5 की प्रयोज्यता को शामिल नहीं किया गया था। यह भी माना गया है कि किसी भी आकस्मिक या अनिवार्य भाषा में सीमा की अवधि का प्रावधान नहीं है। धारा 5 की प्रयोज्यता को हटाने के लिए पर्याप्त है। सीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 417 (4) के तहत आवेदन करने में देरी को माफ करने के लिए लागू माना गया है। न्यायालय ने कहा है:

" 6. कौशल्या रानी मामले में विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले के समान ही था, अर्थात् क्या उस धारा की उप-धारा (3) के तहत विशेष अवकाश के लिए आवेदन करने के लिए धारा 417 की उप-धारा (4) में निर्धारित साठ दिनों की समय सीमा को भारतीय सीमा अधिनियम, 1908 की धारा 5 को लागू करके बढ़ाया जा सकता है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 417 की उप-धारा (4) ने शिकायतकर्ता द्वारा विशेष अनुमति के लिए आवेदन के लिए सीमा की एक विशेष अवधि निर्धारित की है।
बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील और

" इस अर्थ में, साठ दिनों के प्रतिबंध का यह नियम एक विशेष कानून है, अर्थात, एक सीमा का नियम जो विशेष रूप से संहिता में ही प्रदान किया गया है, जो सामान्य रूप से सीमा की अवधि के लिए प्रदान नहीं करता है।

अपील या आवेदन के लिए।

इस न्यायालय ने बताया कि जब से

" संहिता की धारा 417 की उप-धारा (4) में निर्धारित सीमा का विशेष नियम निजी अभियोजकों द्वारा अपीलों को नियंत्रित करने वाली सीमा का एक विशेष कानून है, इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं है कि सीमा अधिनियम की धारा 5 पूरी तरह से रास्ते से बाहर है। सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) (बी) "[2019] 13 एस. सी. आर.

यानी धारा 4,9 से 18 और 22 के अलावा अन्य धाराएं लागू नहीं होंगी। अब, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि यदि वर्तमान मामला भारतीय सीमा अधिनियम, 1908 द्वारा शासित होता, तो यह निर्णय पूरी तरह से लागू होता और दिल्ली नगर निगम इस उद्देश्य के लिए उस अधिनियम की धारा 5 की सहायता लेने का हकदार नहीं होता। धारा 417 की उप-धारा (4) में निर्धारित साठ दिनों की सीमा की अवधि को बढ़ाने के लिए एक शिकायतकर्ता द्वारा विशेष अनुमति के लिए आवेदन के लिए बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए। लेकिन भारतीय सीमा अधिनियम, 1908 का स्पष्ट रूप से वर्तमान में कोई अनुप्रयोग नहीं है।

चूंकि उस अधिनियम को सीमा अधिनियम, 1963 द्वारा निरस्त किया गया है, जो 1 जनवरी, 1964 से प्रभावी हुआ और इसलिए वर्तमान मामले का निर्णय सीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के संदर्भ में किया जाना चाहिए।

7. जहाँ तक धारा 29, उप-धारा (2) में निहित प्रावधान का संबंध है, सीमा अधिनियम, 1963 द्वारा एक महत्वपूर्ण विचलन किया गया है। जबकि, भारतीय सीमा अधिनियम, 1908, धारा 29, उप-धारा (2), खंड (बी) के तहत प्रावधान किया गया है कि किसी भी मुकदमे के लिए निर्धारित सीमा की किसी भी अवधि को निर्धारित करने के उद्देश्य से,

किसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा अपील या आवेदन, के प्रावधान

भारतीय सीमा अधिनियम, 1908, धारा 4,9 से 18 और 22 में निहित धाराओं के अलावा, लागू नहीं होगा और इसलिए, धारा 5 की प्रयोज्यता को स्पष्ट और विशिष्ट शब्दों में बाहर रखा गया था, सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 29, उप-धारा (2) इतनी शर्तों में अधिनियमित करती है कि किसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा किसी भी मुकदमे, अपील या आवेदन के लिए निर्धारित सीमा की अवधि निर्धारित करने के उद्देश्य से धारा 4 से 24 में निहित प्रावधान,

जिसमें धारा 5 शामिल होगी, उस हद तक लागू होगी जब तक कि वे इस तरह के विशेष प्रावधानों द्वारा स्पष्ट रूप से बहिष्कृत नहीं हैं।

या स्थानीय कानून। भारतीय सृजन ENGR./DPHCBB एम. एन. जी. एम. टी. बोर्ड (पी. डब्ल्यू.) स्लैपर की धारा 29, उप-धारा (2), खंड (बी) v.

ई. टी. ओ., सुंदर नगर/मूल्यांकन प्राधिकरण। [अरुण मिश्रा, जे।]

सीमा अधिनियम, 1908 ने विशेष रूप से निम्नलिखित की प्रयोज्यता को बाहर रखा:

धारा 5, जबकि सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 29, उप-धारा (2), स्पष्ट और असंदिग्ध शब्दों में, प्रयोज्यता का प्रावधान करती है

कौसल्या रानी में धारा 5 और निर्णय का अनुपात

इसलिए, मामला 2 का सीमा अधिनियम, 1963 द्वारा शासित मामलों में कोई अनुप्रयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि वह निर्णय इस परिकल्पना पर आगे बढ़ा कि धारा 5 की प्रयोज्यता को निम्न द्वारा बाहर रखा गया था - भारतीय सीमा अधिनियम, 1908 की धारा 29 (2) (बी) का कारण। चूंकि सीमा अधिनियम, 1963 के तहत, धारा 5 को विशेष रूप से धारा 29, उप-धारा (2) द्वारा लागू किया गया है, इसलिए इसका लाभ उठाया जा सकता है:

किसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा निर्धारित सीमा की अवधि बढ़ाने का उद्देश्य, यदि आवेदक यह दिखा सकता है कि उसके पास पर्याप्त था

अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं करने का कारण

अव्यवस्थित या अनिवार्य भाषा विस्थापन के लिए पर्याप्त नहीं है। धारा 5 की प्रयोज्यता। अतः निष्कर्ष यह है कि

अप्रतिरोध्य है कि एक मामले में जहां बरी होने के आदेश से अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया जाता है

सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 का बल आवेदक के लिए उपलब्ध होगा और यदि वह यह दिखा सकता है कि उसके पास धारा 417 की उप-धारा (4) में निर्धारित साठ दिनों की समय सीमा के भीतर आवेदन को प्राथमिकता नहीं देने का पर्याप्त कारण था, तो आवेदन होगा

वर्जित नहीं किया जाएगा और साठ दिनों की समय सीमा समाप्त होने के बावजूद, उच्च न्यायालय के पास इसे स्वीकार करने की शक्ति होगी। इसलिए, वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में अधिकारिता के बिना कार्य नहीं किया कि दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रस्तुत आवेदन साठ की समय सीमा से वर्जित नहीं था।

धारा 417 की उप-धारा (4) में निर्धारित दिन क्योंकि दिल्ली नगर निगम के पास इसे पसंद नहीं करने का पर्याप्त कारण था ऐसी समय सीमा के भीतर आवेदन। विशेष अवकाश देने का आदेश परिस्थितियों में था, न कि आदेश की शक्ति के बाहर।

उच्च न्यायालय "।

13. भारत संघ में v. लोकप्रिय निर्माण कंपनी, (2001) 8 एस. सी. सी. 470, न्यायालय ने इसकी प्रयोज्यता के प्रश्न पर विचार किया

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 (3) के तहत कार्यवाही के लिए सीमा अधिनियम की धारा 5 में निहित प्रावधान। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 में निहित प्रावधानों पर विचार किया गया। धारा 34 (3) में निहित प्रासंगिक प्रावधानों को नीचे निकाला गया है:

" 34. मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखने के लिए आवेदन।

(3) अलग रखने के लिए आवेदन उस तारीख से तीन महीने बीत जाने के बाद नहीं किया जा सकता है जिस दिन वह आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थता पुरस्कार प्राप्त हुआ था या, यदि कोई अनुरोध किया गया था।

धारा 33 के तहत उस तारीख से किया गया था, जिस दिन मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा उस अनुरोध का निपटारा किया गया था: बशर्ते कि यदि न्यायालय संतुष्ट हो कि आवेदक को तीन महीने की उक्त अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो वह तीस दिनों की आगे की अवधि के भीतर आवेदन पर विचार कर सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं।

धारा 34 (3) के प्रावधान में आवेदन करने के लिए तीन महीने की अवधि का प्रावधान है। न्यायालय, यदि पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर संतुष्ट होता है, तो

तीस दिनों की आगे की अवधि के भीतर आवेदन पर विचार करें, लेकिन उसके बाद नहीं। लोकप्रिय निर्माण कंपनी (ऊपर) में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

" 8. धारा 34 के परंतुक में केवल एक अवधि के लिए प्रावधान किया गया था

जिसके भीतर न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है, कि सीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 को बाहर करने के लिए पर्याप्त नहीं रहा है क्योंकि "केवल एक सीमा अवधि का प्रावधान है जो किसी भी तरह से सुपरिंटिंग ENGR./DPHCBB MNGMT बोर्ड (PW) स्लैपर v.

ई. टी. ओ., सुंदर नगर/मूल्यांकन प्राधिकरण। [अरुण मिश्रा, जे।]

अव्यवस्थित या अनिवार्य भाषा विस्थापन के लिए पर्याप्त नहीं है। धारा 5 '8 की प्रयोज्यता।

***

11. इस प्रकार, जहां विधायिका ने अपील के उद्देश्य के लिए एक विशेष सीमा निर्धारित की थी और सीमा अधिनियम की धारा 4,5 और 12 की सहायता लेने के बाद 60 दिनों की सीमा की अवधि की गणना की जानी थी, इन धाराओं के विशिष्ट समावेश का अर्थ था कि उस हद तक केवल सीमा अधिनियम के प्रावधानों को बढ़ाया गया था और अन्य प्रावधानों की प्रयोज्यता, आवश्यक निहितार्थ से बाहर थी।

12. जहाँ तक 1996 के अधिनियम की धारा 34 की भाषा का संबंध है,

संबंधित, महत्वपूर्ण शब्द "लेकिन उसके बाद नहीं" उप-धारा (3) के परंतुक में उपयोग किए जाते हैं। हमारी राय में, यह वाक्यांश धारा 29 (2) के अर्थ के भीतर एक स्पष्ट बहिष्करण के बराबर होगा।

सीमा अधिनियम और इसलिए, उस अधिनियम की धारा 5 के अनुप्रयोग पर रोक लगाएगा। संसद को और आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि न्यायालय परंतुक के तहत विस्तारित अवधि से परे पुरस्कार को रद्द करने के लिए एक आवेदन पर विचार कर सकता है, वाक्यांश "लेकिन उसके बाद नहीं" पूरी तरह से अस्पष्ट है। कोई सिद्धांत नहीं

व्याख्या इस तरह के परिणाम को उचित ठहराएगी। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 34 के परंतुक में केवल उपबंध किया गया था

सीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 को बाहर करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। हालाँकि, धारा 34 में "लेकिन उसके बाद नहीं" की अभिव्यक्ति धारा 29 (2) के अर्थ के भीतर बहिष्करण को व्यक्त करने के बराबर होगी। सीमा अधिनियम।

14. समेकित अभियांत्रिकी उद्यमों में v. प्रधानाचार्य

सचिव, सिंचाई विभाग और अन्य। , 2008 (7) एस. सी. सी. 169 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 (3) में निर्धारित सीमा अवधि के संबंध में विचार के लिए प्रश्न उत्पन्न हुआ, मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने के लिए। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सीमा अधिनियम की धारा 14 को बाहर नहीं रखा गया है। हालांकि, सीमा अधिनियम की धारा 5 की प्रयोज्यता को बाहर रखा गया है। प्रासंगिक चर्चा निम्नलिखित है:

" 53. एसी अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (3) में निर्धारित किया गया है कि

एक अलग रखने के लिए आवेदन दायर करने के लिए सीमा की अवधि

8 मंगू राम बनाम। नगर निगम। दिल्ली का, (1976) 1 एस. सी. सी. 392 पी. 397 , पैरा 7. 9 पटेल नारनभाई मार्गभाई बनाम। धुलाभाई गलबाभाई, (1992) 4 एस. सी. सी. 264।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पुरस्कार उस तारीख से तीन महीने के रूप में दिया जाता है जिस दिन आवेदक को मध्यस्थ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके लिए परंतुक अदालत के विवेकाधिकार में निहित है कि सीमा की अवधि को तीस दिनों से अधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जाए यदि अदालत का समाधान हो कि आवेदक को आवेदन नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण से रोका गया था।

तीन महीने के भीतर। परंतुक में "लेकिन उसके बाद नहीं" शब्दों का उपयोग यह स्पष्ट करता है कि भले ही लंबे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण बनाया गया हो, विस्तार तीस दिनों से अधिक नहीं हो सकता है। ए. सी. अधिनियम की धारा 34 (3) के प्रावधान का उद्देश्य है - सीमा अधिनियम की धारा 5 के समान, जो किसी के लिए निर्धारित सीमा की अवधि के विस्तार से भी संबंधित है।

विस्तार की अवधि के संबंध में कोई बाहरी सीमा निर्धारित करें, जबकि ए. सी. अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (3) का परंतुक सीमा की अवधि के विस्तार की अवधि पर एक सीमा निर्धारित करता है। इस प्रकार ए. सी. अधिनियम की धारा 34 (3) का परंतुक भी सीमा की अवधि के विस्तार से संबंधित एक प्रावधान है, लेकिन विस्तार की अवधि के संबंध में सीमा अधिनियम की धारा 5 से अलग है, और इसका प्रभाव केवल सीमा अधिनियम की धारा 5 को बाहर करने का है।

54. दूसरी ओर, सीमा अधिनियम के भाग III में निहित धारा 14 सीमा की अवधि के विस्तार से संबंधित नहीं है, बल्कि अवधि की गणना करते समय कुछ अवधि के बहिष्करण से संबंधित है। सीमाएँ। न तो एसी अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (3) और न ही एसी अधिनियम का कोई अन्य प्रावधान एसी अधिनियम की धारा 34 (1) के तहत आवेदनों पर सीमा अधिनियम की धारा 14 की प्रयोज्यता को बाहर करता है। न ही धारा 34 (3) का परंतुक धारा 14 के अनुप्रयोग को बाहर करेगा, क्योंकि धारा 14 के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

सीमा की अवधि का विस्तार, लेकिन सीमा की अवधि की गणना करते समय कुछ अवधि के बहिष्करण के लिए। सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) को ध्यान में रखते हुए, उस अधिनियम की धारा 14 एसी अधिनियम की धारा 34 (1) के तहत एक आवेदन पर लागू होगी। यहां तक कि जब धारा 14 को लागू करने का कारण होता है, तब भी सीमा अवधि तीन महीने बनी रहती है और उससे अधिक नहीं होती है, लेकिन एसी अधिनियम की धारा 34 (1) के तहत आवेदन के लिए तीन महीने की सीमा अवधि की गणना करने में, जिस समय के दौरान आवेदक गलत अदालत के समक्ष इस तरह के आवेदन पर मुकदमा चला रहा था, उसे बाहर रखा जाता है, बशर्ते कि सुपरिटिंग ENGR./DPHCBB एमएनजीएमटी बोर्ड (पीडब्ल्यू) स्लेपर v.

ई. टी. ओ., सुंदर नगर/मूल्यांकन प्राधिकरण। [अरुण मिश्रा, जे।]

गलत अदालत में कार्यवाही के साथ ईमानदारी से मुकदमा चलाया गया था

उचित परिश्रम। वेस्टर्न बिल्डर्स 1, इसलिए, सही बताता है

कानूनी स्थिति "।

15. सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम होंगो इंडिया प्रा. लिमिटेड और ए. एन. आर. , (2009) 5 एस. सी. सी. 791, यह प्रश्न विचार के लिए उठा कि क्या उच्च न्यायालय के पास केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 35-एच में निर्दिष्ट अवधि से आगे की देरी को माफ करने की शक्ति है।

अपील और संदर्भ की सीमा निर्णय या आदेश के संचार की तारीख से 180 दिनों के भीतर है। प्रावधानों और अधिनियम के कारण, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय को निर्देश देने के लिए निर्धारित समय सीमा सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत न्यायालय द्वारा पूर्ण और अनिश्चित है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम को अपने आप में एक पूर्ण संहिता माना गया है। धारा 29 (2) में "स्पष्ट रूप से बहिष्कृत" के महत्व पर विचार किया गया था, और यह देखा गया है कि स्पष्ट बहिष्करण के अभाव में भी, न्यायालय इस सीमा की जांच कर सकता है - विषय वस्तु के प्रावधानों या प्रकृति के आधार पर एक विशेष कानून द्वारा सीमा अधिनियम का बहिष्करण। इस न्यायालय ने विभिन्न प्रावधानों की योजना और उसके तहत योजना पर इस प्रकार विचार किया है:

" 4. अधिनियम का अध्याय VI-A अपीलों से संबंधित है। धारा 35 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति द्वारा पारित किसी भी निर्णय या आदेश से व्यथित

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील) को इस तरह के निर्णय या आदेश के बारे में सूचित करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपील दायर कर सकते हैं। उप-धारा (1) का परंतुक आयुक्त (अपील) को सक्षम बनाता है यदि वह संतुष्ट है कि अपीलार्थी को साठ दिनों की उपरोक्त अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो उसे तीस दिनों की आगे की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है।

5. धारा 35-बी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील के बारे में बात करती है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त या आयुक्त (अपील) द्वारा पारित कुछ निर्णयों/आदेशों से व्यथित कोई भी व्यक्ति उस तारीख से तीन महीने के भीतर अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है, जिस तारीख को आदेश के खिलाफ अपील करने की मांग की गई थी।

संबंधित अधिकारी या अन्य पक्ष को सूचित किया गया। उप-धारा (5) अपीलीय न्यायाधिकरण को निर्धारित अवधि से आगे भी देरी को माफ करने में सक्षम बनाती है यदि उस अवधि के भीतर इसे प्रस्तुत नहीं करने का पर्याप्त कारण था।

10 (2006) 6 एससीसी 239 [2019] 13 एस. सी. आर.

6. धारा 35-ई. ई. केंद्र सरकार द्वारा संशोधन का प्रावधान करती है। उप-धारा (2) के अनुसार, उप-धारा (1) के तहत एक आवेदन संचार की तारीख से तीन महीने के भीतर किया जाएगा। हालांकि, उप-धारा (2) का परंतुक पुनरीक्षण प्राधिकरण को नब्बे दिनों की और अवधि के लिए देरी को माफ करने में सक्षम बनाता है, यदि पर्याप्त कारण दिखाया जाता है।

7. असंशोधित धारा 35-जी उच्च न्यायालय में अपील के बारे में बात करती है। उप-धारा 2 (ए) पीड़ित व्यक्ति को एक याचिका दायर करने में सक्षम बनाती है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त या अन्य पक्ष द्वारा जिस तारीख को आदेश के खिलाफ अपील की जाती है, उससे 180 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जाती है। 180 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद अपील दायर करने में देरी को माफ करने का कोई प्रावधान नहीं है। 8. असंशोधित धारा 35-एच संदर्भ आवेदन के बारे में बताती है

उच्च न्यायालय तक। उप-धारा (1) के अनुसार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त या अन्य पक्ष उस तारीख से 180 दिनों की अवधि के भीतर जिस पर उसे धारा 35-सी के तहत एक आदेश की सूचना दी जाती है, न्यायाधिकरण को न्यायाधिकरण के ऐसे आदेश से उत्पन्न होने वाले कानून के किसी भी प्रश्न को उच्च न्यायालय को संदर्भित करने का निर्देश देता है। यहाँ

पुनः, उप-धारा (1) के अनुसार, 180 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में निर्देश के लिए आवेदन किया जाना है, और उच्च न्यायालय में आवेदन दायर करने के लिए सीमा की अवधि को उक्त अवधि से आगे बढ़ाने और देरी को माफ करने का कोई प्रावधान नहीं है।

9. इन तीन अपीलों में, हम "संदर्भ" से संबंधित हैं। अधिनियम 49 द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में संशोधन से पहले अधिनियम की धारा 35-एच (1) के तहत उच्च न्यायालय में किया गया आवेदन

2005 (डब्ल्यू. ई. एफ. 28-12-2005) जिसके द्वारा धारा 35-एच सहित अधिनियम के कई प्रावधानों को हटा दिया गया था। हालाँकि, दिए गए संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, हमारे सामने निर्दिष्ट प्रश्न पर विचार करना उचित है।

**

**

**

32. जैसा कि पहले बताया गया है, धारा 35,35-बी, 35-ई. ई., 35-जी और 35-एच में उपयोग की गई भाषा यह स्थिति स्पष्ट करती है कि निर्णय या आदेश के संचार की तारीख से 180 दिनों के भीतर ही उच्च न्यायालय में अपील और संदर्भ किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, अन्य प्रावधानों में उपयोग

की जाने वाली भाषा इस स्थिति को स्पष्ट करती है कि विधायिका का उद्देश्य अपीलीय प्राधिकरण पर्यवेक्षण ENGR./DPHCBB MNGMT बोर्ड (PW) स्लेपर v था।

ई. टी. ओ., सुंदर नगर/एसेसिंघाटी। [अरुण मिश्रा, जे।]

60 दिनों की समाप्ति के बाद केवल 30 दिनों तक की देरी को माफ करके अपील पर विचार करना, जो अपील को प्राथमिकता देने के लिए प्रारंभिक सीमा अवधि है। निर्धारित अवधि के बाद पर्याप्त कारण दिखाकर देरी को माफ करने वाले किसी भी खंड के अभाव में, सीमा अधिनियम की धारा 5 का पूर्ण बहिष्कार किया जाता है। इसलिए, उच्च न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में न्यायोचित ठहराया गया कि निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद देरी को माफ करने की कोई शक्ति नहीं है।

180 दिनों की अवधि।

न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि संदर्भ के लिए 180 दिनों की सीमा की पर्याप्त अवधि प्रदान की गई है। संदर्भ दाखिल करने में देरी की क्षमा नहीं की गई थी। विधायिका का इरादा था कि 180 से अधिक देरी की कोई माफी नहीं होनी चाहिए।

दिन होते हैं। न्यायालय ने 180 दिनों की अवधि की पर्याप्तता के संबंध में टिप्पणी की है जो अपील और पुनरीक्षण के लिए निर्धारित अवधि से अधिक है:

" 33. अन्यथा भी, आयुक्त और अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने के साथ-साथ केंद्र सरकार को संशोधन करने के लिए, विधायिका ने दूसरी ओर, अपील दायर करने के लिए 60 दिन और 90 दिन का प्रावधान किया है और उच्च न्यायालय को 180 दिनों की बड़ी अवधि का निर्देश दिया गया है।

ताकि आयुक्त और अन्य पक्ष इसका लाभ उठा सकें। हमारा विचार है कि विधायिका ने उच्च न्यायालय में निर्देश दायर करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया है, जो अपील और संशोधन के लिए निर्धारित अवधि से अधिक है।

अधिनियम की योजना और 180 दिनों की सीमा के प्रावधान के तहत, उच्च न्यायालय में संदर्भ दाखिल करने के लिए अपील और संशोधन के लिए निर्धारित अवधि से अधिक समय था। 16. मध्य प्रदेश और अन्र राज्य में। वी. अंशुमन शुक्ला, (2014) 10 एस. सी. सी. 814, इस न्यायालय की 3-न्यायाधीश पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि भले ही एम. पी. मध्यम अधिकारन की धारा 19 में संशोधन किया गया हो।

अधिनियम, 1983 को 2005 में बनाया गया था, क्योंकि अदालत के पास स्वतः संज्ञान लेने और किसी भी समय एक पुरस्कार के रिकॉर्ड के लिए बुलाने की शक्ति थी, सीमा अधिनियम की धारा 5 की प्रयोज्यता को बाहर करने का कोई विधायी इरादा नहीं था। इसके अलावा, इस न्यायालय ने कहा कि 1983 के अधिनियम की धारा 19 में, न्यायालय की शक्ति पर कोई स्पष्ट अधिकार नहीं है।

उच्च न्यायालय [2019] 13 एस. सी. आर. की समाप्ति के बाद पुनरीक्षण के लिए एक आवेदन पर विचार करेगा।

इसके तहत रिब्ड सीमा। इस प्रकार, ऐसे अधिधारक की अनुपस्थिति में धारा 29 (2) के प्रावधानों और संशोधन दाखिल करने में देरी को माफ कर दिया गया। न्यायालय ने टिप्पणी की:

" 32. 1983 के अधिनियम की धारा 19 में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

तीन की निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद पुनरीक्षण के लिए एक आवेदन पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति पर सवार

महीनों तक। इसके विपरीत, उच्च न्यायालय को किसी भी समय पुरस्कार का रिकॉर्ड मांगने के लिए स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान की जाती है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि विधायी इरादा सीमा अधिनियम की धारा 19 की धारा 5 की प्रयोज्यता को बाहर करना था।

1983 का अधिनियम। 33. हमारी राय में, इस सवाल पर विचार करना अनावश्यक है कि क्या अधिनियम के तहत गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण वर्तमान मामले में मुद्दे का जवाब देने के लिए एक अदालत है या नहीं क्योंकि संशोधन दाखिल करने में देरी उच्च न्यायालय के समक्ष हुई है, न कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष।

बिन्दु (ii) का उत्तर 34. ऊपर दर्ज कारणों के आलोक में, हमारी राय है कि नगर पालिका परिषद, मुरैना के मामले का फैसला गलत तरीके से किया गया था। सीमा अधिनियम की धारा 5 1983 के अधिनियम की धारा 19 पर लागू होती है। इसमें कोई स्पष्ट बहिष्करण शामिल नहीं किया गया है, और न ही यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत है कि विधायी इरादा 1983 के अधिनियम की धारा 19 पर सीमा अधिनियम की धारा 5 के अनुप्रयोग को रोकना था। विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने के लिए जिन मामलों पर भरोसा किया गया था, अर्थात्, नसीरुद्दीन 1 2 और पॉप्युलर कंस्ट्रक्शन 1 3 को अलग किया जा सकता है।

तथ्यों के साथ-साथ लागू कानून दोनों के संदर्भ में, और इस प्रकार, वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मध्य प्रदेश की धारा 19 (1) का प्रावधान

यस्थम अधिकारन अधिनियम, 1983 यहाँ नीचे निकाला गया है:

" 19. उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति। — (1) उच्च न्यायालय किसी भी समय स्वतः संज्ञान ले सकता है या किसी व्यथित पक्ष द्वारा निर्णय के तीन महीने के भीतर उसमें संशोधन के लिए किए गए आवेदन पर, किसी भी मामले का रिकॉर्ड मांग सकता है जिसमें इसके तहत निर्णय दिया गया है।

4) 2 एमपीजेआर (एसएन) 374

3) 2 एस. सी. सी. 577

1) 8 एस. सी. सी. 470 सुपरइंटेन्डिंग ENGR./DPHCBB एम. एन. जी. एम. टी. बोर्ड (पी. डब्ल्यू.) स्लेपर v. ई. टी. ओ., सुंदर नगर/मूल्यांकन प्राधिकरण। [अरुण मिश्रा, जे।]

यह अधिनियम न्यायाधिकरण को एक माँग जारी करके, और ऐसी माँग की प्राप्ति पर, न्यायाधिकरण को भेजेगा या भेजेगा वह
न्यायालय संबंधित अधिनिर्णय और उसका अभिलेख।

17. पटेल ब्रदर्स बनाम। असम राज्य और अन्य। , 2017 (2) एस. सी. सी. 350, प्रश्न प्रावधानों के संबंध में विचार के लिए आया

असम मूल्य वर्धित कर अधिनियम में निहित। इस न्यायालय ने सीमा अधिनियम की धारा 5 और 29 (2) के साथ पठित वैट अधिनियम की धारा 81 और 84 में निहित प्रावधानों पर विचार किया। उच्च न्यायालय में संशोधन दाखिल करने में देरी को माफ करने के मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वैट अधिनियम की धारा 81 और 84 में निहित प्रावधानों को देखते हुए, सीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों को लागू नहीं कहा जा सकता है। सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) के प्रावधानों का निहित अपवर्जन हो सकता है। सीमा अधिनियम के प्रावधानों के स्पष्ट बहिष्करण के अभाव में भी, निहित बहिष्करण पर विचार करना अदालत के लिए खुला है। यह आयोजित किया गया है:

" 20. इस प्रकार, ऐसे मामलों में न्यायालय द्वारा अपनाया जाने वाला दृष्टिकोण विशेष कानून के प्रावधानों की जांच करना है ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि क्या सीमा अधिनियम के संचालन को बाहर करने का विधायी इरादा था। तत्काल मामले में, हम पाते हैं कि वैट अधिनियम की धारा 84 ने वैट अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए सीमा अधिनियम की केवल धारा 4 और 12 को लागू किया है। प्रत्यक्ष विधायी आशय, जिसे स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सकता है, सीमा अधिनियम की धारा 5 सहित अन्य प्रावधानों को बाहर करना है। धारा 29 (2) में कहा गया है कि किसी विशेष कानून में किसी भी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में, धारा 4 से 24 के प्रावधान सीमा अधिनियम लागू होगा। यदि विधायिका का इरादा धारा 5, या उस मामले के लिए, सीमा अधिनियम के अन्य प्रावधानों को वैट अधिनियम के तहत कार्यवाही पर लागू करना था, तो धारा 84 जैसे विशिष्ट प्रावधान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जिससे सीमा अधिनियम की केवल धारा 4 और 12 ऐसी कार्यवाही पर लागू होती हैं, क्योंकि ये दो धाराएं हैं।

सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) के आधार पर भी लागू होता। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि विधानमंडल ने वैट अधिनियम के तहत लागू उक्त अधिनियम की धारा 4 से 24 में से केवल सीमा अधिनियम की धारा 4 और 12 का इरादा किया था, जिससे अन्य प्रावधानों की प्रयोज्यता को हटा दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21. मंगू राम 1 4 में निर्णय अपीलार्थी की सहायता के लिए नहीं आया क्योंकि न्यायालय ने पाया कि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिससे सीमा अधिनियम की धारा 5 को बाहर करने के विधायी इरादे का पता लगाया जा सके और इसलिए सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) की सहायता ली गई। अंशुमन शुक्ला मामले में भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई थी। इसके विपरीत, तत्काल मामले में, वैट अधिनियम की योजना की जांच से पता चलता है कि यह एक पूर्ण संहिता है जो न केवल मंच को निर्धारित करती है, बल्कि समय-सीमा भी निर्धारित करती है जिसके भीतर प्रत्येक मंच सक्षम होगा

उसमें वर्णित सीमा की अवधि निर्धारिती के लिए समान रूप से लागू की गई है और साथ ही राजस्व इस तरह के निष्कर्ष के लिए पर्याप्त विश्वसनीयता प्रदान करता है। इसलिए हम बिना किसी हिचकिचाहट के मान रहे हैं कि सीमा
अधिनियम, 1963 की धारा 5 का वैट अधिनियम की धारा 81 (1) के तहत एक कार्यवाही पर लागू होना, आवश्यक निहितार्थ से बाहर है, जिसमें प्रयुक्त भाषा के आधार पर

धारा 84 "।

इस न्यायालय ने असम के वैट अधिनियम की धारा 84 पर विचार किया है। वैसा ही इस प्रकार है:

" 84. सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 4 और 12 का अनुप्रयोग। — इस अध्याय के तहत सीमा की अवधि की गणना करते हुए,

सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 4 और 12 के प्रावधान,

जहाँ तक हो सके, आवेदन करें। "

धारा 81 संशोधन से संबंधित है, और धारा 84 सीमा अधिनियम से संबंधित है। धारा 84 में अध्याय के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर है

जिसे धारा 81 के प्रावधान में जगह मिलती है। केवल सीमा अधिनियम की धारा 4 और 12 के प्रावधान लागू किए गए हैं, और अन्य प्रावधान सीमा अधिनियम के प्रावधानों के सीमित अनुप्रयोग से बाहर हैं। असम वैट अधिनियम के तहत निर्णय ने धारा 84 के उपरोक्त महत्वपूर्ण प्रावधान को बदल दिया है।

18. एम. पी. स्टील कार्पोरेशन बनाम केंद्रीय आयुक्त

आबकारी, (2015) 7 एस. सी. सी. 58, इस न्यायालय ने इसके अर्थों पर विचार किया

14 (1976) 1 एस. सी. सी. 392

15 (2014) 10 एस. सी. सी. 814 एरिटिंग ENGR./DPHCBB एम. एन. जी. एम. टी. बोर्ड (पी. डब्ल्यू.) स्लेपर v. ई. टी. ओ., सुंदर नगर/मूल्यांकन प्राधिकरण। [अरुण मिश्रा, जे।]

और सीमा अधिनियम की धारा 14 के तहत दीवानी कार्यवाही और

के मामले में कार्यवाही पर लागू होने वाले निर्णय लिए गए थे

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 120 के तहत दायर किया जा रहा है।

19. सीमा शुल्क आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नोएडा बनाम।

एब फाइबर्स लिमिटेड, नोएडा, (2008) 3 एस. सी. सी. 73, उच्च न्यायालय में संदर्भ आवेदन दायर करने में देरी पर एक सवाल उठा। इसने अभिनिर्धारित किया कि धारा 5 लागू नहीं होती है। उक्त मामले में, अदालत ने सिंह एंटरप्राइजेज बनाम में निर्णय को रद्द कर दिया। के आयुक्तआर. ए. एल. एक्साइज, जमशेदपुर और अन्य। , (2008) 3 एससीसी 70. सिंह राजपत्र (ऊपर) में, यह आयोजित किया गया है:

" 6. इस मोड़ पर, धारा 35 पर ध्यान देना प्रासंगिक है। अधिनियम जो इस प्रकार है:

" 35. आयुक्त (अपील) को अपील। (1) कोई भी व्यक्ति

इस अधिनियम के तहत पारित किसी भी निर्णय या आदेश से व्यथित

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी, आयुक्त से निचले पद पर

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय आयुक्त से अपील कर सकता है उत्पाद शुल्क (अपील) [इसके बाद इस अध्याय में संदर्भित

आयुक्त (अपील)] की तारीख से साठ दिनों के भीतर

ऐसे निर्णय या आदेश के बारे में उसे सूचित करना:

बशर्ते कि आयुक्त (अपील) संतुष्ट होने पर ऐसा कर सकता है

कि अपीलार्थी को पर्याप्त कारण से रोका गया था

साठ दिनों की उपरोक्त अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करना,

इसे तीस दिनों की और अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अनुमति दें। (2) इस धारा के तहत प्रत्येक अपील निर्धारित में होगी।

प्रपत्र और निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जाएगा।

**

**

**

8. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील) के साथ-साथ न्यायाधिकरण कानून के निर्माता होने के नाते अधिकार क्षेत्र में निहित नहीं हैं।

अनुमेय अवधि से आगे की देरी को माफ करने के लिए

कानून। वह अवधि जब तक क्षमा के लिए प्रार्थना की जाती है

स्वीकार किया जा सकता है वैधानिक रूप से प्रदान किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया कि

सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 का तर्क (संक्षेप में "

सीमा अधिनियम ") का लाभ देरी को माफ करने के लिए लिया जा सकता है। द. धारा 35 का पहला परंतुक इस स्थिति को स्पष्ट करता है कि अपील

तिथि से तीन महीने के भीतर वरीयता दी जानी चाहिए

निर्णय या आदेश के बारे में उसे सूचित करें।

आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि अपीलार्थी को इसके द्वारा रोका गया था

60 दिनों की उपरोक्त अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त कारण, वह इसे 30 दिनों की आगे की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है। दूसरे शब्दों में, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अपील 60 दिनों के भीतर दायर की जानी है, लेकिन परंतुक के संदर्भ में, अपील प्राधिकरण द्वारा अपील पर विचार करने के लिए और 30 दिनों का समय दिया जा सकता है। धारा 35 की उप-धारा (1) के परंतुक से स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि अपीलीय प्राधिकारी ने अपील को 30 दिनों की अवधि से आगे प्रस्तुत करने की अनुमति देने की कोई शक्ति नहीं है। उपयोग की गई भाषा इस स्थिति को स्पष्ट करती है कि विधायिका का इरादा अपीलीय प्राधिकरण को 60 दिनों की समाप्ति के बाद केवल 30 दिनों तक की देरी को माफ करके अपील पर विचार करने का था, जो अपील करने के लिए सामान्य अवधि है। इसलिए, सीमा अधिनियम की धारा 5 को पूरी तरह से हटा दिया गया है। द.

इसलिए आयुक्त और उच्च न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में न्यायोचित ठहराया गया कि 30 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद देरी को माफ करने की कोई शक्ति नहीं है।

20. चौधराना स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, इलाहाबाद, (2009) 15 एस. सी. सी. 183, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-जी के तहत अपील दायर करने में देरी का सवाल विचार के लिए आया। अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय के पास देरी को माफ करने की कोई शक्ति नहीं है और पंजाब फाइबर लिमिटेड (ऊपर) में फैसले का पालन किया।

21. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, निर्णयों के आलोक में, जब हम 2005 के अधिनियम की योजना की जांच करते हैं, तो इसमें निहित प्रावधान

जो अन्यथा विशिष्ट प्रावधान के अभाव में प्राधिकरण पर लागू नहीं होता। आयुक्त को स्वतः ही संशोधन प्रदान किया जाता है धारा 46 (1) के प्रावधानों के तहत स्वतः संज्ञान लेते हुए पुनरीक्षण शक्ति के प्रयोग के लिए 5 साल की अवधि दी गई है। हालाँकि, न्यायाधिकरण के पास आदेश के संचार की तारीख से 60 दिनों के भीतर आवेदन पर विचार करने की शक्ति है। जब हम धारा 48 के प्रावधानों पर विचार करते हैं, तो उच्च न्यायालय को संशोधन प्रदान किया जाता है, और एक पीड़ित व्यक्ति ENGR./DPHCBB MNGMT बोर्ड (PW) स्लेपर v.

ई. टी. ओ., सुंदर नगर/एसेसिंघाटी। [अरुण मिश्रा, जे।]

इस तरह के आदेश के संचार के 90 दिनों के भीतर, एक संशोधन दाखिल करें। धारा 48 (1) कहीं भी सीमा अधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता को स्पष्ट रूप से बाहर नहीं करती है। धारा 5 के प्रावधान धारा 48 पर लागू होते हैं क्योंकि वे अधिनियम के तहत प्रावधानों द्वारा स्पष्ट रूप से बहिष्कृत नहीं हैं। 2005. इसके अलावा, धारा 45 (4) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, जो सीमा अधिनियम की तरह देरी को माफ करने का प्रावधान करता है, एक प्राधिकरण को भी देरी को माफ करने की शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा, धारा 46 के तहत स्वतः संज्ञान संशोधन का भी प्रावधान किया गया है। धारा 48 में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

बहिष्करण। अधिनियम की योजना के कारण, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि निहितार्थ से, सीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधान हैं:

बहिष्कृत। सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) में निहित प्रावधानों को आकर्षित किया जाएगा क्योंकि 2005 के अधिनियम के प्रावधानों को देखते हुए कोई स्पष्ट बहिष्करण या निहितार्थ नहीं है। हमारा मानना है कि धारा 29 (2) में निहित प्रावधानों के आधार पर, सीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधान 2005 के अधिनियम की धारा 48 के तहत कार्यवाही पर लागू होंगे।

22. उच्च न्यायालय ने असम वैट अधिनियम के संदर्भ में पटेल ब्रदर्स (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है जिसमें

धारा 84 के उपर्युक्त प्रावधान ने अंतर पैदा किया, जो विशिष्ट प्रावधान करता है कि सीमा अधिनियम की केवल धारा 4 और 12 लागू होती हैं। नतीजतन, यह इस प्रकार है कि अन्य प्रावधान लागू नहीं हैं। होंगो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) में निर्णय ने भी आबकारी अधिनियम की योजना को चालू कर दिया। आबकारी अधिनियम की योजना हिमाचल प्रदेश वैट अधिनियम से भौतिक रूप से अलग है। इस प्रकार, होंगो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) में निर्णय को हिमाचल प्रदेश वैट अधिनियम की व्याख्या के लिए भी लागू नहीं कहा जा सकता है। चूंकि 2005 के अधिनियम के तहत संशोधन उच्च न्यायालय में निहित है, इसलिए सीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधान लागू होते हैं, और इसमें कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

धारा 5 के प्रावधानों का अपवर्जन और धारा 29 (2) के अनुसार, जब तक कि कोई विशेष कानून स्पष्ट रूप से प्रावधान को बाहर नहीं करता है, धारा 4 से 24

सीमा अधिनियम लागू होते हैं। जब हम हिमाचल प्रदेश वैट अधिनियम, 2005 की योजना पर विचार करते हैं, तो यह स्पष्ट है कि इसकी योजना सीमा अधिनियम के उन प्रावधानों को हटा नहीं रही है जो धारा 5 के सिद्धांतों को अपील दायर करने के मामले में किसी प्राधिकरण पर भी लागू करती हैं, लेकिन उक्त प्रावधान के लिए प्राधिकरण के पास देरी को माफ करने की शक्ति नहीं होगी। निहितार्थ से भी, यह स्पष्ट है कि सीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों को हटा नहीं दिया गया है; उनके पास [2019] 13 एस. सी. आर. की धारा 48 के तहत सीमा को माफ करने का खेल है।

2005 का अधिनियम। आयुक्त को 5 वर्षों के भीतर पुनरीक्षण शक्ति का स्वतः संज्ञान प्रावधान भी प्रदान किया जाता है। इस प्रकार, इरादा सीमा अधिनियम को बाहर करने का नहीं है। हम संशोधन दाखिल करने में देरी के लिए खेद व्यक्त करते हैं।

23. हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय के निर्णय को टिकाऊ नहीं कहा जा सकता है। की धारा 5 के प्रावधान

सीमा अधिनियम 2005 के अधिनियम की धारा 48 के तहत पुनरीक्षण प्रावधान पर लागू होता है। विवादित निर्णयों और आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है; मामलों को उच्च न्यायालय को उनकी जांच करने के लिए भेजा जाता है।

कानून के अनुसार योग्यता पर।

मामला उच्च

न्यायालय को प्रेषित किया गया।

निधि जैन